बिहार में जातिवाद की परम्परा

गौतम कुमार

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, ल0ना0मि0वि0, दरभंगा

बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही जातिवादी भावना के आधार पर काम किया जाता है इसिलिए भगत सिंह ने अपने फाँसी से पूर्व राष्ट्र के लोगों को आहवान् करते हुए कहा था कि भारत के लोगों जातिवाद ,धर्मवाद और क्षेत्रवाद के बंधन को तोड़ों और एकजूट होकर भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए संघर्ष करो। भगत सिंह ने राष्ट्र के लोगों को यह आहवान् किया था परन्तु उनकी बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उनके बाद भी बिहार में जातिवाद की परम्परा चलती रही। जब बिहार में पटना नगरपालिका का चुनाव हुआ तो उसके बाद राजेन्द्र बाबू पटना नगरपालिका के अध्यक्ष बने। उन्होनें अपनी आत्मकथा में बिहार में चल रही जातिवादी परम्परा के संबंध में लिखा है और निंदा की है। जवाहर लाल नेहरू ने भी अपने विभिन्न भाषणों में बिहार में जातिवाद परम्पराओं की निंदा की है। श्रीमति गॉधी ने भी बिहार में चल रही जातिवादी भावना को राष्ट्र के विकास के लिए अहित बताया है और कही है कि इससे राष्ट्र के विकास में व्यापक रूप से बाधा पड़ती है तथा इससे व्यापक रूप में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धक्का लगता है। बिहार के लोगों को चाहिए कि इसे किसी भी कीमत पर समाप्त कर दे। जातिवादी भावना से प्रेरित होकर यहाँ के मतदाता मतदान करते हैं जिसके कारण सही रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है। जो भी प्रतिनिधि आते हैं वे जातिवादी भावना से प्रेरित रहते हैं और जातिवादी भावना के आधार पर ही कार्य करते हैं। परन्तु इंदिरा गाँधी की बातों का भी बिहार में कोई विशेष असर नहीं पड़ा और जातिवादी भावना बिहार में अभी व्यापक रुप में विद्यमान है। यह भावना आन्तरिक रुप में ही संचरित होती रहती है। विभिन्न क्षेत्रें में इसकी भूमिका की व्याख्या हम यहॉ कर सकते हैं :

(क) चुनाव के समय में बिहार में जातिवाद व्यापक रूप में उजागर होता रहता है। बिहार में कोई भी प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र का चयन अपने जाति के मतदाताओं को देख कर ही करता है, जिस क्षेत्र में उसके जाति की बहुलता होती है उसी क्षेत्र से वह प्रत्याशी बनना चाहता है।चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का सभी चुनावों में प्रत्याशीगण प्रचार के क्रम में अपने जाति के लोगों को रिझाने का प्रयत्न करते हैं तथा यह भावना संचालित करते हैं कि जिसको हम बेटी देते हैं और जिससे हम बेटी लेते हैं उसी जाति को हम मत देगें। इसी के आधार पर बिहार में चुनाव होता है और बिहार के अधिकांश विधानसभा और लोकसभा के प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं। बिहार में यह परम्परा लम्बे समय से चली आ रही है।

(ख) बिहार में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में जातिगत भावना से प्रेरित रहते हैं। सभी दलों में उसी नेता का वर्चस्व होता है जो अधिकतम मात्र में अपनी जाति के लोगों को अपने दल का सदस्य बना सके और चुनाव के समय में अधिकतम मात्र में अपनी जाति के लोगों का मत अपने दल के लिए दिला सके। यह परम्परा बिहार में स्वत्रतंता के बाद से पर्याप्त रूप में देखी जा रही है। इस परम्परा में अभी तक किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ है।

(ग) बिहार में यह देखा जाता है कि सभी स्तरों के नियुक्तियों में जातिवाद को विशेष प्रश्रय दिया जाता है। सभी क्षेत्रों में चयनकर्ता और साक्षात्कारकर्त्ता जब नियुक्ति के समय साक्षात्कार करने आते हैं तो आन्तरिक रूप में जातिगत पैरवी चलती है।वे जिस जाति के रहते हैं उस जाति के लोग अपने प्रत्याशी के नियुक्ति के लिए व्यापक रूप में पैरवी करते हैं और इस पैरवी के क्रम में सगे–संबंधियों का विशेष रूप में सहारा लिया जाता है। जिसके कारण नियुक्तियों का आधार जातिगत चयन पर जाता है। यह परम्परा बिहार में दशाब्दियों से देखते आ रहे हैं।यह भावना अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी कम नहीं हो पा रही है। दिनों–दिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण बिहार में नियुक्तियों में जातिगत भावना का वर्चस्व हो गया है और इसके साथ–साथ रूपये के लेन–देन की परम्परा भी समृद्व हो गई है। फलतः जातिवादी भावना के आाधार पर बिहार में नियुक्तियॉ एक प्रकृति बन गयी है।

(घ) बिहार में जातिवादी परम्परा के आधार पर ही पैरवियाँ भी होती है। मंत्रीमण्डल स्तर तक अनिहित रूप में पैरवियों की जातिवादी परम्परा स्वतंत्रता के बाद से ही देखने को मिलती है। जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है उस जाति का वर्चस्व बिहार में अपने आप कायम हो जाता है। श्री कृष्ण सिंह के समय में बिहार में भूमिहारों का वर्चस्व था। राम लखन सिंह और लालू यादव के समय में बिहार में यादवों का, जग्गनाथ मिश्र के समय में ब्राहमणों का, अनुग्रह नारायण सिंह के समय राजपूतों का,केदार पाण्डेय के समय सरयुग पाड़ी और कान्य कुब्ज ब्राहमणों का वर्चस्व कायम हो गया था। इन लोगों के समय में ये जातियाँ व्यापक रूप में हौसले मंद थी और इन लोगों का काम मंत्रीमण्डलीय स्तर से व्यापक रूप में होता था अन्य जातियों के मंत्रीगण भी अपने–अपने विभागों के द्वारा पैरवियों का निश्पादन कराते थे।यही प्रकृति प्रमण्डलीय,जिला एंव प्रखण्ड स्तर पर देखने को मिलती है। सभी विभागों के पदाधिकारी अपनी जाति के प्रति रहम दिल होते हैं। जाति के साथ–साथ अगर संबंध का जायका मिल जाता है तो काम आसानी से हो जाता है।

Scanned with CamScanner

प्रखण्डल स्तर पर यदि पदाधिकारीगण किसी जाति के हैं तो उनकी जाति के लोगों को विशेष सुविधाएँ मिलती रहती है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी एंव अन्य पदाधिकारी रहते हैं तो उनके जाति के लोगों को विशेष सहुलियत मिलती है। उसी प्रकार की गतिविधि प्रखण्ड स्तर पर देखी जाती है।बिहार में यह परम्परा हम स्वतंत्रता के बाद अनवरत रूप से देखते आ रहे हैं।

संविधान में यह वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान किसी भी क्षेत्र में जाति, धर्म, गोत्र, लिंग, रंग और सम्पति के आधार पर व्यक्ति–व्यक्ति में किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। परन्तु यह तथ्य केवल संविधान का ही तथ्य बन कर रह गया है। व्यवहारिक रूप में बिहार में जातिवाद अनवरत रूप से व्यवहृत होता रहा है। इसी कारण बिहार का मंत्रीमण्डल भी जातिगत आँकड़े के आधार पर समृद्धोकर बनता है। यह देखा जाता है कि मंत्रिमण्डल में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।इसी कारण से राजनीति और प्रशासन दोनों क्षेत्रें में जातिगत भावना व्यापक रूप से कार्य कर रही है। यह बिहार के सामाजिक एंव आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप में प्रभाव डालती है। सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं परन्तु कोई भी व्यक्ति इस रोग को समाप्त करने का बीड़ा नहीं उठा रहा हैं। यह बहुत ही दुखद बात है।

संदर्भ स्रोत:

(1) डॉ0 राजेन्द प्रसाद –आत्मकथा

(2) डॉ0 राजेन्द प्रसाद - selected speech vol. 1 to 4

(3) जवाहर लाल नेहरू – आत्मकथा

(4) जवाहर लाल नेहरू - selected speech vol. 1 to 5

(5) इंदिरा गाँधी - selected speech and writing vol. 1 to 5

(6) रंजनी कोठारी – भारत में राजनीति कल और आज

(7) प्रसुन्न कुमार चौधरी एंव श्रीकांत – बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम

(8) पुखराज जैन एंव बी0 एल फाडिया – भारतीय संविधान और राजनीति

(9) डॉ0 विश्वनाथ प्रसाद बर्मा – निर्वाचन और राजनीति

(10) श्रीकांत – बिहार में चुनाव, बूथ लूट, जाति और हिंसा

Scanned with CamScanner